प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.12.2025

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास व मारपीट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 फरसा बरामद ।

दिनांक 10.10.2025 को दो पक्षों के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होकर एक दूसरे की जान को जोखिम में डालकर एक दूसरे के ऊपर लाठी-डण्डो व ईंट-पत्थर से हमला करने, एक दूसरे के साथ मारपीट करने, गाली गलौज व बलवा करने के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरूद्ध तत्काल धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(2)109(1)/324(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया । तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. शौकत अली पुत्र स्व0 सुलेमान 2.यामीन पुत्र स्व0 सुलेमान 3. खुर्शीद पुत्र स्व0 सुलेमान 4. मोमीन पुत्र शौकत अली 5. फरमान मलिक पुत्र यामीन 6. उस्मान पुत्र मेहदी हसन उर्फ मिन्दर 7.सर्फू उर्फ शराफत पुत्र यामीन उर्फ मीना प्रधान 8. साजिद उर्फ मुर्गा पुत्र यामीन 9. उस्मान पुत्र मेहदी हसन उर्फ मिन्दर 10.आदिल उर्फ भूरा पुत्र एहसान 11. साजिद पुत्र यामीन को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 26.12.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण 1.हासिम पुत्र यामीन निवासीः गली नं0 02, 100 फुटा रोड लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष 2. जियाउल पुत्र खुर्शीद निवासीः गली नं0 02, 100 फुटा रोड लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 फरसा बांस का डंडा लगा हुआ बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान अभियुक्त जियाउल उपरोक्त ने बताया कि यामीन मेरे ताऊ है उनका भैसों के व्यापार में लाने ले जाने को लेकर घटना से 03 दिन पूर्व यामीन व सरफू उर्फ शराफत में राजस्थान में कहासुनी हुई थी, इसी बात को लेकर दिनांक 10.10.2025 को शुक्रवार नमाज के बाद दोनों पक्ष इकट्ठा होकर आपस में एक दूसरे को जान से मारने की नीयत से एक दूसरे को लाठी, डण्डों, ईट-पत्थर से जान से मारने की नीयत से मारपीट करने लगे जिसमें हम दोनों भी शामिल थे इस घटना में मैंने तमंचे से फायर किया था हासिम ने फरसा से हमला किया था जिसके बाद हमने तमंचे व फरसा को झाडियों में छिपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.हासिम पुत्र यामीन निवासीः गली नं0 02, 100 फुटा रोड लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 36 वर्ष
2. जियाउल पुत्र खुर्शीद निवासीः गली नं0 02, 100 फुटा रोड लक्ष्मी गार्डन इन्द्रापुरी, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 फरसा बांस का डंडा लगा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा नकली नोटों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 500-500 रूपये के 02 नकली नोट बरामद।

दिनांक 26.12.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र रामपार्क से 500-500 रूपये के 02 नकली नोट के साथ अभियुक्त सुनील पुत्र आला निवासी अंसार विहार थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरादगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा- 179 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं नशा करने का आदि हूँ। मुझे 500-500 रूपये के 02 नकली नोट मिले थे जिन्हे मैं बाजार में चलाने का प्रयास कर रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुनील पुत्र आला निवासी अंसार विहार थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 50 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

500-500 रूपये के 02 नकली नोट बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

धारा 129 BNSS के अंतर्गत निवारक कार्यवाही से नगर जोन मे संपत्ति संबंधी अपराधों में उल्लेखनीय कमी।

श्रीमान पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में नगर जोन द्वारा वर्ष 2025 में अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 129 के अंतर्गत कार्यवाही की संख्या बढाई गयी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अपराध होने से पहले ही उसे रोकना था, विशेष रूप से ऐसे संपत्ति संबंधी अपराध जो आम नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास को सीधे प्रभावित करते हैं।

वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 के अपराध आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हुआ कि इस निवारक रणनीति के अत्यंत सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। नगर जोन में संपत्ति संबंधी अपराधों में महत्वपूर्ण और मापनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो यह दर्शाती है कि सक्रिय पुलिसिंग एवं विधिक कार्रवाई ने अपराध नियंत्रण में निर्णायक भूमिका निभाई है।

दिनांक 01.01.2025 से 07.12.2025, 129 BNSS की कार्यवाही का विवरण, नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबादः-

जोन	129 BNSS की कार्यवाही	
	YEAR-2024	YEAR-2025
नगर जोन	05	1367

संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावः-

तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है:

- लूट के मामलों मे 52% की कमी
- झपटमारी (Snatching) के मामलों में 29.3% की कमी
- गृह भेदन (House Breaking) के मामलों में 34.74% की कमी
- वाहन चोरी के मामलों में 2.82% की कमी
- अन्य चोरी के मामलों में 27.16% की कमी

यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि निवारक कार्रवाई से अपराधियों में भय एवं निरोधक प्रभाव उत्पन्न हुआ है। बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई तथा उन्हें सतत निगरानी में रखा गया, जिससे आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगी।

दिनांक 01.01.2025 से 07.12.2025 तक सम्पत्ति संबंधी अपराधों का तुलनात्मक विवरण, नगर जोन कमिश्नरेट गाजियाबादः-

जोन	डकैती		लूट		स्नैचिंग		गृह भेदन		वाहनचोरी		अन्य चोरी	
	YEAR-2024	YEAR-2025	YEAR-2024	YEAR-2025	YEAR-2024	YEAR-2025	YEAR-2024	YEAR-2025	YEAR-2024	YEAR-2025	YEAR - 2024	YEAR - 2025

नगर जोन	0	0	25	12	150	106	95	62	779	757	545	397

निवारक रणनीति एवं पुलिसिंग उपायः-

संपत्ति अपराधों में संलिप्त या संदिग्ध आदतन अपराधियों की पहचान पूर्व अपराध रिकॉर्ड, स्थानीय सूचनाओं एवं बीट स्तर की जानकारी के आधार पर की गई। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 129 BNSS के अंतर्गत विधिक कार्रवाई कर उन्हें शांति एवं सदाचार बनाए रखने हेतु पाबंद किया गया।

इसके साथ ही बीट पेट्रोलिंग, रात्रि गश्त, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की दृश्य उपस्थिति, आरडब्ल्यूए, बाजार समितियों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय को भी सुदृढ़ किया गया। बाजारों, आवासीय कॉलोनियों, परिवहन केंद्रों एवं अपराध-प्रवण क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती गई, जिससे आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई।

BNSS की धारा 129 के बारे मेः-

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 129 एक महत्वपूर्ण निवारक कानूनी प्रावधान है, जिसके अंतर्गत पुलिस एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है, जो आदतन अपराधी हैं या जिनसे भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका हो तथा जिनकी गतिविधियाँ सार्वजनिक शांति एवं संपत्ति के लिए खतरा बन सकती हैं।
- इस धारा के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित अवधि के लिए शांति एवं सदाचार बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। उनसे जमानत अथवा मुचलका भरवाया जा सकता है। शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आगे की विधिक कार्रवाई की जा सकती है।
- धारा 129 BNSS का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि अपराध की रोकथाम करना है। यह पुलिस को समय रहते हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे अपराध घटित होने से पहले ही उसे रोका जा सके और नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

जन सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धताः-

- गाजियाबाद पुलिस, नागरिकों को सुरक्षित, संरक्षित एवं अपराध मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। धारा 129 BNSS के अंतर्गत की गई निवारक कार्रवाई से प्राप्त सकारात्मक परिणाम इस बात का प्रमाण हैं कि सक्रिय, उत्तरदायी एवं जन-केंद्रित पुलिसिंग अपराध नियंत्रण में अत्यंत प्रभावी है।
- भविष्य में भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी ताकि अपराधों में स्थायी कमी सुनिश्चित की जा सके। गाजियाबाद पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे सतर्क रहें एवं पुलिस के साथ सहयोग कर समय पर सूचना साझा करें, जिससे कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 100000/- रु0 की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 27/12/2025 को साइबर सेल थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक नरेन्द्र कुमार निवासी डासना गेट गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में निकाली गयी 100000 /- रु0 धनराशि आवेदक को वापस करायी गई।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक नरेन्द्र कुमार के साथ ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमे मु0अ0स0- 422/2025 66डी आइटी एक्ट पंजीकृत कर साइबर सेल थाना कोतवाली नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि के सम्बन्ध मे सम्बधित बैक से पत्राचार व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 27/12/2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 100000/- रु0 की धनराशि साइबर सेल टीम थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद द्वारा वापस कराया गयी । आवेदक द्वारा थाना कोतवाली नगर आकर थाना प्रभारी महोदय एवं साइबर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल टीम, थाना कोतवाली नगर ।